निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

12 पौष 1934 (श0)

(सं0 पटना 10) पटना, बुधवार, 2 जनवरी 2013

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

24 सितम्बर 2012

सं0 22/नि0सि0(सिवान)–11–11/2005/1047—श्री शशि कुमार सिन्हा, अवर प्रमण्डल पदाधिकारी, सारण नहर अवर प्रमण्डल, बरौली के विरूद्व निम्नलिखित प्रथम द्रष्टया प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय संकल्प ज्ञापांक 320 दिनांक 5.4.07 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17 के तहत विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ किया गया।

(1) मनमाने ढंग से खरीफ अवधि वर्ष 2005 में विशुनपुर वितरणी एवं अन्य नहरों में रू0 1.17 लाख का कार्य कराना तथा राशि को खंड–खंड में तोड़ने प्रमाणक बनाने तथा स्वयं ही अंकित एवं पारित करना।

(2) दिनांक 28.4.06 को कार्यपालक अभियन्ता, गंडक योजना, गोपालगंज द्वारा बरौली अनुमंडल के निरीक्षण के पश्चात उपस्थिति पंजी को गायब कर बदल डालना।

(3) मुख्यालय से/कर्तव्य से स्वेच्छापूर्वक अनुपस्थित रहना।

(4) अपने अधीनस्थ कनीय अभियन्ताओं के साथ अमर्यादित व्यवहार करना, मानसिक रूप से प्रताड़ित करना, यथोचित मार्ग दर्शन के बजाय धमकियॅा देना तथा अपने अधीनस्थ कर्मचारियों पर नियंत्रण नहीं रहना।

(5) सिंचाई राजस्व संग्रहादि कार्यो में रूचि नहीं लेना, जिसके चलते वर्ष 2005 में खरीफ एवं रब्बी सिंचाई कार्य का प्रभावित होना।

(6) अवर प्रमण्डलीय रोकड़ लेखा का अनियमित समर्पण करना।

(7) वर्ष 2004–05 में आयकर कटौती में गोलमाल करना। विभाग द्वारा स्पष्टीकरण मांगने पर समर्पित नहीं करना एवं

(8) अपने कार्यकलापों पर पर्दा डालने के लिए अपने नियंत्रण पदाधिकारी/उच्चाधिकारी पर अनर्गल/मनगढंत आरोप लगाकर विभाग से हमेशा पत्राचार करना। में विभाग से सीधे पत्राचार करना। पत्र में उचित माध्यम लिखा रहता है लेकिन किसी पत्र को प्रमण्डलीय कार्यालय में नहीं देना।

विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जॅाच प्रतिवेदन में सभी आरोपों को प्रमाणित पाया गया। प्राप्त जॅाच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी। सम्यक समीक्षोपरान्त पाया गया कि श्री सिन्हा द्वारा खरीफ अवधि वर्ष 2005 में विशुनपुर वितरणी एवं अन्य नहरों में 1.17 लाख रूपये का कार्य कराना, राशि को खंड–खंड में तोड़ना प्रमाणक बनाना तथा स्वयं अंकित एवं पारित किया गया है। साथ ही 1.17 लाख रूपये का कार्य

कराने का प्राक्कलन स्वीकृत नहीं होना, जॉच कार्य में सहयोग नहीं करना, अपने बयान एवं साक्ष्यों में किसी आरोप का उत्तर सही नहीं देने का आरोप प्रमाणित पाया गया।

सरकार द्वारा उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए निम्न दण्ड प्रस्तावित करते हुए विभागीय पत्रांक 1142 दिनांक 27.10.09 द्वारा श्री सिन्हा अवर प्रमण्डल पदाधिकारी, बरौली से द्वितीय कारण पृच्छा की गयीः–

(1) निन्दन वर्ष 2005–06

(2) तीन वार्षिक वेतन वृद्वि पर संचयात्मक प्रभाव से रोक।

श्री सिन्हा द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जबाव विभागीय पत्रांक 1587 दिनांक 26.10.10 द्वारा स्मारित किये जाने के बावजूद भी नहीं दिया गया। पुनः विभागीय ज्ञापांक 156 दिनांक 11.2.11 द्वारा प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से भी द्वितीय कारण पृच्छा का जबाव मांगा गया परन्तु श्री सिन्हा से जबाव प्राप्त नहीं हुआ।

वर्णित स्थिति में श्री सिन्हा को निम्न दण्ड देने का निर्णय लिया गया।

(1) निन्दन वर्ष 2005–06

(2) तीन वार्षिक वेतन वृद्वि पर संचयात्मक प्रभाव से रोक।

उक्त निर्णय के आलोक में श्री शशि कुमार सिन्हा, तत्कालीन अवर प्रमण्डल पदाधिकारी, सारण नहर अवर प्रमण्डल, बरौली को उक्त दण्ड दिया जाता है।

उक्त दण्डादेश श्री शशि कुमार सिन्हा, अवर प्रमण्डल पदाधिकारी, सारण नहर अवर प्रमण्डल, बरौली को संसूचित किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
भरत झा,
सरकार के उप–सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 10-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in